International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 188-190

अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन : सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में

अंजना
मध्य/आधुनिक कालीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 20वीं सदी के उन आधुनिक विचारकों में से एक है,जिन्होने समाज को नई दिशा दी । डॉ0 अम्बेडकर सबके लिए समान मानवाधिकार चाहते थे और उन्होने सबको सामाजिक दृष्टि से समान स्थान दिलाने का प्रयत्न किया । वे मानव की गरिमा, स्वतंत्रता समानता, सामाजिक–आर्थिक न्याय, समान समृद्धि के पक्षधर थे । डॉ0 अम्बेडकर का मुख्य अध्ययन विषय–अर्थशास्त्र था उन्होनें तत्कालीन भारत में सामाजिक विषमता के लिए उस समय की आर्थिक व्यवस्था एवं नीतियो को भी जिम्मेदार ठहराया था । इसी का निराकरण करने हेतु उन्होने अनेक उपाय सुझाये तथा संविधान में इस प्रकार के प्रावाधानों को रखा।

मूल शब्द : सामाजिक न्याय, आर्थिक नीति, राष्ट्रीयकरण, समानता, शोषण।

प्रस्तावना
भारतीय समाज व राजनीति में लम्बे समय से असमानता मुख्य रूप से विद्यमान रही है। प्राचीन काल में शासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था, जहॉ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में जाति मौजूद न हो। यह वर्तमान में भी परिलक्षित है, जबकि भारत में लोकतांत्रिक संविधान को लागू हुए 65 वर्षों से अधिक समय हो गया है। इस देश के लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाति कारक हावी हैं। एक ही धर्म व समुदाय के अन्तर्गत अनके जातियॉ प्रभावी है। भारत में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के कारण सामाजिक रूप से श्रेणीबद्ध, आर्थिक रूप से दरिद्र, राजनीतिक रूप से दबे हुए, धार्मिक रूप से बहिष्कृत तथा अनिश्चित काल तक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवसरों से वंचित रहने वालों को दास बनाकर दंड़ित कर सभी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन्हें अछूत समुदाय कहा जाता है, जो श्रेणीबद्ध विषमता एवं अन्याय पर आधारित व्यवस्था के शिकार थे।

ऐसी ही व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय के विरूद्ध डॉ0 अम्बेडकर दृढ़ता से आवाज उठाई। स्वतंत्रता से पहले के भारत अैर संविधान सभा दोनों में ही सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को याद किया जाता है। साथ ही आज के समय में उसकी बरकरार प्रासंगिता पर चिंतन करना हमेशा से ही एक लाभदायक एवं संतोषजनक अभ्यास है। डॉ0 अम्बेडकर का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं एक न्यायसंगत समाज की स्थापना करना था, जो आवश्यक रूप से एक जातिरहित समाज था। उन्होंने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की न केवल क्रूर आलोचना की बल्कि जाति के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और विनाश पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की वैकल्पिक दृष्टि और वैकल्पिक मॉडल लेकर आये।

वास्तव में 19वीं के उतरार्द्ध में वैश्विक रूप में 'सामाजिक न्याय' शब्द प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वप्रथम स्थानांतरित किये गये किसानों जो शहरी श्रमिक बन गये थे, की नई आम जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए शासक वर्ग से एक अपील के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सामाजिक न्याय का मूल आधार है, समाज के वंचित, शोषित और दीन वर्गों का उत्थान। इसका प्रमुख उद्देश्य–मानव जाति को सामाजिक और आर्थिक शोंषण व भेदभाव की पारम्परिक कैद से मुक्त कराना। सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल हैं यह वह गुण है, जो उन सुनियोजित मानव अन्तःक्रियाओं को बनाने में हमारा मार्ग दर्शन करता है, जिन्हें हम संस्थान कहते हैं। सामाजिक न्याय के आर्थिक पहलू का तात्पर्य है कि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आय व धन की समानता को बढ़ाना अर्थात् आय, धन और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण क्रमशः घटते जाना चाहिए और समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्ग को आर्थिक वृद्धि का लाभ मिलना अनिवार्य होना चाहिए।

डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु आर्थिक संसाधनों के समान वितरण पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राज्य अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित करें कि–उत्पादन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो तथा सम्पत्ति का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।[1] डॉ0 अम्बेडकर के जीवन का ध्येय दलितों और शोषितों के सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना था और ये उद्देश्य राज्य की सहायता के बिना सम्भव नहीं था। अतः उन्होंने राज्य समाजवाद का मार्ग अपनाया।

19वीं सदी जर्मनी में एक आंदोलन हुआ, जिसका ध्येय राज्य समाजवाद की स्थापना करना था।[2] इस आंदोलन ने गरीब वर्गों की दशा सुधारने के लिए नैतिक उत्तरदायित्व पर भी बल दिया। राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दीन–हीनों की प्रगति के लिए कानून–व्यवस्था बनाए, एक ऐसे समाज की स्थापना की रचना करें, जो शोषित वर्गों को अधिक सुविधाऍ प्रदान करें। यह आंदोलन शुद्ध रूप से समाजवादी नही था क्योंकि इसने निजी संपत्ति को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया।

डॉ0 अम्बेडकर की मान्यता थी कि आर्थिक विषमता से मुक्त होने के लिए राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। उनका कहना था कि राज्य अपने ऊपर कुछ उत्तरदायित्व ले, जिससे मनुष्यों का जीवन समृद्धिशाली बनें उत्पादन और वितरण से सभी लोगों को लाभ होना चाहिए। धन पर या राज्य की पूंजी पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। डॉ0 अम्बेडकर साहब मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि, ''राज्य में अधिकाधिक उत्पादकता होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में यह नियंत्रण रखने की

स्वतंत्रता राज्य में होनी चाहिए। ठीक उसी समय निजी उद्योग–धंधों को विकास के अवसर मिलने चाहिए और संपत्ति का न्यायपूर्ण विभाजन होना चाहिए।[4]

बाबा साहब का मत था कि आर्थिक विषमता, आर्थिक निर्भरता और आर्थिक अभाव के कारण अनेक अन्यायपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न होती है। आर्थिक असमानता से वर्ग बंटता है। वर्ग विभाजन से अच्छे बुरे की भावना आती है और इसी से शोषण का आरंभ होता है।

डॉ0 अम्बेडकर निजी अर्थव्यवस्था चाहते थे।[5] किन्तु इसमें गरीब वर्गों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएँ देनी चाहिए। वह पूँजीपति वर्ग का विनाश नहीं चाहते थे अपितु इसमें सुधार चाहते थे ताकि यह अपने हितों के साथ–साथ दूसरों का भी हितवर्द्धन करे। वह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्होंने राज्य और निजी क्षेत्र के मध्य अर्थव्यस्था के विभाजन पर भी असहमति व्यक्त की है। उनके अनुसार राज्य का स्वामित्व केवल कृषि उद्योगों में होना चाहिए।[6] बाबा साहब कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे। एक सफल जनतंत्र के लिए वे कृषि संबंधों के समाजीकरण पर बल दे रहे थे। इस देश की व्यवस्था में किसानों का अक्सर शोषण हुआ है । वर्ण और जाति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए जातियों और वर्णों ने 'श्रमिकों' आदिवासियों और किसानों को उत्पादन की एक मशीन मात्र माना है। इस कारण उत्पादन के सम्बन्धों के पुनर्रचना का उन्होंने सुझाव दिया–

1. सम्पूर्ण कृषि का राष्ट्रीयकरण किया जाय।
2. सामूहिक खेती शुरू की जाय। श्रमिकों और मजदूरों को मजदूरी की गारंटी प्रदान की जाय।

डॉ0 अम्बेडकर औद्योगीकरण के पक्षधर थे। वे गॉधी की भॉति औद्योगीकरण को अनावश्यक नहीं मानते थे। उन्होंने कृषि के औद्योगीरकण और ग्रामीण विकास से अलग रह गई जनता को समायोजित कर लेने के लिए औद्योगिक नगरों की प्रस्थापनाएँ प्रस्तुत थी।

उन्होंने कहा कि 'भारत का औद्योगीकरण भारत की कृषिगत समस्याओं का सबसे ठोस निदान है ।[7] उनका मानना था कि राज्य समाजवाद अपनाने से औद्योगीरण में सहायता मिलेगी। उन्होंने यहॉ तक चेतावनी दी कि भारत को या तो औद्योगीकरण करना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए।[8]

डॉ0 अम्बेडकर ने खेती संबंधी कानूनों को श्रमिकों के लिए लाभदायक नहीं माना क्योंकि उन श्रमिकों के पास खेत नहीं हैं। गॉवों में रहने वाले मुख्यतः अछूत इन कानूनों से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। अतएव डॉ0 अम्बेडकर ने सामूहिक खेती पर बल दिया। कृषि को राज्य उद्योग बनाना चाहिए। कृषि करने योग्य जितनी भूमि हो उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए उनका मानना था कि यदि हम व्यापक लाभकारी फल चाहते है तो भारत में आर्थिक नियोजन मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में लागू करना चाहिए।[9]

वे राज्य समाजवाद के समर्थक थे परन्तु उसके लिए जनतांत्रिक समाजवाद को अपनाने के लिए इच्छुक थे। नियोजित अर्थव्यवस्था की यशस्विता के लिए वे जनतंत्र की आवश्यकता त्यागने के इच्छुक नहीं थे। संसदीय जनतंत्र की आवश्यकता तो आवश्यक है और इसे बनाये रखते हुए राज्य समाजवाद की स्वीकृति संविधान और कानून के दायरे मे की जानी चाहिए। वे ब्यक्तिगत स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे इसलिए उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन किया। ऐसा संसदीय प्रजातंत्र जिसमें राज्य समाजवाद संविधान के नियमों के अनुरूप हो, ताकि संसदीय बहुमत के लिए यह संभव न हो कि इसे संशोधित या समाप्त न कर सकें।[10]

अर्थव्यवस्था पर राज्य के सम्पूर्ण नियंत्रण और एकाधिपत्य के वे विरूद्ध थे। कृषि योग्य भूमि का राष्ट्रीयकरण, सामुदायिक खेती, औद्योगिक क्षेत्र के सौम्य स्वरूप का समाजवाद और

बीमा का राष्ट्रीयकरण इस रूप में अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना उन्हें अभिप्रेत थी। निजी संपत्ति को वे नष्ट नहीं करना चाहते थे। राज्य नियंत्रण और निजी संपत्ति में संतुलन बनाये रखना जरूरी है ऐसा उनका आग्रह था उनका राज्य समाजवाद का दृष्टिगत समन्वयवादी है। उन्होंने व्यक्तिवाद व समाजवाद के अच्छे तत्वों का समन्वय किया। उनका समाजवाद दीन–हीन जनता के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं की मॉग करता है। तो दूसरी ओर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के भी वे समर्थक है। पूँजीपति वर्ग की अमर्यादित महत्वाकांक्षा पर वे नियंत्रण चाहते थे। गॉधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त उन्हे मान्य नहीं था। पूँजीवादी वर्ग अपने शोषण के समर्थन के लिए आध्यात्मिक परिभाषाओं का आधार लेता है। उनका समाज विषयक व जीवन विषयक दृष्टिकोण आध्यात्मिक नहीं था। इसी कारण गॉधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का उन्होंने विरोध किया।

उनका सिद्धान्त समाज की भलाई के लिए निम्नलिखित तीन तत्वों को उचित मानता है–

1. उद्योग एवं कृषि की स्थापना के दरिद्र वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से करना चाहिए।
2. सार्वजनिक भलाई के लिए उत्पादन के साधनों की देख–रेख राज्यों द्वारा होनी चाहिए।
3. उत्पादन का ठीक–ठीक वितरण संबंधित व्यक्तियों में बिना किसी जाति एवं धार्मिक भेदभाव के होना चाहिये।

डॉ0 अम्बेडकर आर्थिक असमानता से विमुक्ति के लिए राज्य का नियंत्रण आवश्यक मानते थे। राज्य समाजवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने राज्य की पूँजी पर किसी भी वर्ग के एकाधिकार का विरोध किया। वह केवल कृषि एवं मुख्य उद्योगों पर राज्य के समर्थक थे जो गरीबों का अधिकतम कल्याण करें।

निष्कर्ष

समाजिक न्याय की स्थापना हेतु वे संपत्ति के न्यायपूर्ण विभाजन के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि आर्थिक असमानता से वर्ग विभाजन होता है और इसी से शोषण का जन्म होता है। औद्योगिकीकरण के पक्षधर थे तथा उन्होंने कृषि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। उनका राज्य समाजवाद राज्य नियंत्रण और निजी संपत्ति में संतुलन स्थापित करता है अर्थात् उनका दृष्टिकोण समान्वयवादी था। उनका मानना था कि उद्योग एवं कृषि की स्थापना समाज के वंचित वर्ग की आवश्यकता पूरी करने के लिए होनी चाहिए, उत्पादन के साधनों की देख–रेख राज्य द्वारा होनी चाहिए तथा उत्पादन का वितरण बिना किसी जाति व धार्मिक भेदभाव के होनी चाहिए। अक्षरशः सत्य है कि डॉ0 अम्बेडकर ने राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए सामाजिक–आर्थिक न्याय को पूर्वापेक्षा के रूप में माना है। साथ ही सामाजिक न्याय की उनकी दृष्टि में एक मानदण्ड सम्बन्धी तत्व के तहत् मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में शान्ति तथा सुरक्षा के साथ सामाजिक जीवन में अच्छाई, व्यक्ति की गरिमा, पुरूष और महिला के लिए समान अधिकार, सामाजिक प्रगति के प्रोत्साहन और जीवन के बेहतर स्तर की वांछनीयता पर परिलक्षित होती है ।

सन्दर्भ

1. विष्णु दत्त नागर, डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक विचार और नीतियॉ, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1995,पृ0 118 ।

2. डॉ0 डी0आर0 जाटव, डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन,पृ0 85।
3. डॉ0 सूर्यनारायण रणसुभे, डॉ अम्बेडकर, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 98।
4. वही, पृ0 98
5. डॉ0 डी0आर0 जाटव, डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन, पृ0 86।
6. वही, पृ0 86
7. वही, पृ0 86
8. डॉ0 डी0आर0 जाटव, डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन, पृ0 87।
9. वही, पृ0 89
10. डॉ0 अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज, खण्ड–1 शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, 1979, पृ0 412।